जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक-06.03.2025

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी मोटर साईकिल बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 28.02.2025 को वादी धर्मेन्द्र पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी दयानन्द नगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली की मोटर साईकिल रजि0नं0 UP19J2889 को अज्ञात चोर द्वारा चन्द्र पैलेस मेरठ रोड़ सिम्भालका के पास से चोरी कर ली गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 05.03.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 वाहन चोरो को चोरी की गयी मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.शंकर पुत्र देशपाल निवासी ग्राम सिम्भालका थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की गयी मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर रजि0नं0 UP19D2889।

<u>थाना कोतवाली शामली/गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 06.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली/गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.इरशाद पुत्र इलियास निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.सुनील पुत्र प्रकाशचन्द निवासी ग्राम खेड़की थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से हरे पेड़ का कटे हुये टुकड़े, उपकरण व परिवहन में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्राली बरामदः-

दिनाँक 05.03.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को हरे पेड़ के काटे हुये टुकड़े, पेड़ काटने में प्रयुक्त उपकरण व परिवहन में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्राली सहित गिरफ्तार गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.इरशाद पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम बल्लामाजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.आम व शीशम के पेड के टुकड़े।
2.एक अदद दाव व एक रस्सा।
3.ट्रैक्टर महिन्द्रा मय ट्राली बिना नम्बर।

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये चावल के कट्टे व घटना में प्रयुक्त मिनी ट्रक बरामदः-</u>

ज्ञात हो दिनाँक 05.03.2025 को वादी देवेन्द्र कुमार पुत्र भूल्लन सिंह निवासी मौहल्ला धर्मपुरा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ने अपने गोदाम से चावल के कट्टे चोरी होने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 06.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कोतवाली शामली के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 02 चोरो को चोरी किये गये चावल के कट्टे व घटना में प्रयुक्त मिनी ट्रक सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1.राहुल पुत्र श्रीचन्द निवासी मौहल्ला अटल विहार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.रवि कुमार पुत्र रामबीर निवासी ग्राम इदरीशपुर थाना दोघट जनपद बागपत।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.चोरी किये गये कुल 07 चावल के कट्टे।

2.घटना में प्रयुक्त मिनी ट्रक रजि0नं0 UP19AT2671

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 6,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-</u>

1.वर्ष 2000 में अभियुक्त इकराम पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 119/2000 धारा 380/411 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.वर्ष 2017 मे अभियुक्त सेवाराम पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम कुड़ाना थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 274/2017 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम मे आज दिनांक 06.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय उठने तक की सजा व 4,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>